उपायुक्त –सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, हजारीबाग।
(ग्रामीण विकास विभाग)

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली 2017 के संकल्प ज्ञापांक (N)848 दिनांक 21.03.2017 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के रिक्त पदों पर पूर्णतया संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है।

उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नवत् विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्नवत है :-

पद का नाम	अनारक्षित	अनु0 जनजाति	अनु0 जाति	अ0पि0वर्ग	पि0वर्ग	कुल पद
प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	03	0	1	1	1	6
तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	7	0	2	3	2	14

आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन संभव है।

2. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अहर्त्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र, फोटोग्राफ, शपथ पत्र (किसी अन्य जिला में आवेदन नहीं देने का शपथ पत्र) तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए दिनांक 12.08.2017 के अपराह्न 5:00 बजे तक निम्न पते पर निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

   सेवा में
उप विकास आयुक्त
-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
समाहरणालय परिसर, हजारीबाग।

3. (क) **प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी** के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं –
   - **अनिवार्य योग्यता** – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

➤ अतिरिक्त योग्यता –

a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०एम०, बी०सी०ए०/ बी०एस०सी० कम्प्यूटर/ बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए० / एम०एस०सी० (कम्प्यूटर विज्ञान), अतिरिक्त योग्यताएं मानी जायेंगी। एम०बी०ए० एवं पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०आर०डी० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०आर०डी० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम०बी०ए० की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिए जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर आनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

b) एम०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० या बी०एस०सी० कम्प्यूटर साईस या बी०एस०सी कम्प्यूटर आनर्स के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

(ख) तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं –

a) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०ई० या बी०टेक अनिवार्य योग्यता होगी।

b) अतिरिक्त योग्यता

i. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम०टेक० पी०जी०डी०सी०ए० / एम०सी०ए०/ एम०सी०ए० कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी।

ii. एम०सी०ए०/ एम०सी०ए० कम्प्यूटर को सामान्य योग्यता समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जाऐंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतूल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 05 घटा दिया जायेगा।

सभी शैक्षणिक योग्यताएँ, जिसके संस्थान सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होगी।

4. **आयु सीमा** : दिनांक 01.1.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम
   (क) अनारक्षित : 35 वर्ष
   (ख) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग : 37 वर्ष
   (ग) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) : 38 वर्ष
   (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष) : 40 वर्ष
5. **राष्ट्रीयता** : आवेदक भारत का नागरिक हो।
6. **आरक्षण** : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

7. **परिलब्धि :**

क्र0	पदनाम	एकमुश्त मासिक मानदेय की राशि (रू.में)
1.	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	19500.00
2.	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	17934.00

8. **नियुक्ति के नियम एवं शर्त्ते :**

(क) उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर किये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरुप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी की इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

(च) उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का एक शपथ पत्र भी अर्पित करना अनिवार्य होगा कि झारखण्ड प्रांत के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। उनके द्वारा अर्पित शपथ पत्र / कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगा। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

21/06/17 निदेशक, डी0आर0डी0ए0, हजारीबाग।	24/6/17 उप विकास आयुक्त-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, हजारीबाग।	24/6/17 उपायुक्त, हजारीबाग।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम ....

हाल का पासपोर्ट साइज फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में): ....
(अंग्रेजी में) : ....
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) : ....
(अंग्रेजी में) : ....
3. स्थायी पता : ....
....
4. वर्तमान पता : ....
....
5. जन्म तिथि : ....
उम्र (दिनांक 01.1.2017 तक) : .... दिन ...... महिना .... वर्ष
6. लिंग : पुरूष/महिला : ....
7. कोटि : अनु0जाति / अनु0जनजाति / पिछड़ी जाति /अत्यन्त पिछड़ी जाति (जो लागू नहीं काट दें।)
8. शैक्षणिक योग्यता :

क्र0	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	कुल अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

9. अतिरिक्त योग्यता :- ....

10. अनुभव का विवरणी एवं प्रमाण पत्र :

उपर्युक्त सभी विवरणी मेरी जानकारी में सत्य है, यदि कोई त्रुटि होती है तो मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ / रहूँगा/ रहूँगी।

दिनांकः ....

स्थान : ....

आवेदक का हस्ताक्षर